उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग
संख्या 484 / XXIV(1) / 45 / 2008 T.C.IV
देहरादूनः दिनांक 22 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–35 वर्ष 2009) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं अर्थात्:–

उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2017 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 34 के उपनियम (ग) और (च) का प्रति स्थापन	2.	उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेगें, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	**स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थपित नियम**
(ग) प्रत्येक कक्षा एवं प्रत्येक विषय हेतु अपेक्षित अधिगम सम्प्राप्ति को परिभाषित करना तथा इन परिणामों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों तथा अधिगम सामग्री निर्धारित करना।	केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गये तथा राज्य सरकार द्वारा हिन्दी भाषा में अनुवादित सभी प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए कक्षावार, विषयवार अधिगम परिणामों को सम्बन्धित सभी विद्यालयों में लागू करना।
(च) कक्षा–1 से कक्षा–8 तक की सभी कक्षाओं में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू करने हेतु उपर्युक्त निर्देशिका तैयार करना	परिभाषित अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अमल में लाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव (प्रभारी)

––2

संख्या ५४५ / XXIV(1) / 45 / 2008 T.C.IV, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उतराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

2– निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

3– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

5– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

6– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लिथो प्रेस, रूड़की को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव